



हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित

प्रथमा भवन, गांधी हिल्स, डाकघर हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442005

(पंजीयन संख्या WDA/WDA/RSR/(CR)414/2012-13)

आ.सं. : -----

दिनांक : -----

आकस्मिक ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी

सहकारी साख संस्था मर्यादित, वर्धा।

नियुक्ति की तिथि -----

जन्म तिथि -----

सेवानिवृत्ति तिथि -----

महोदय,

मैं हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित का/की नियमित सदस्य हूँ। मैं अपनी कुल जमा और अंशदान की राशि पर ₹----- (अक्षरों में -----) का आकस्मिक ऋण लेना चाहता/चाहती हूँ। इसकी अदायगी मैं अपने वेतन से प्रतिमाह ₹----- (अक्षरों में -----) के अनुसार ----- किशतों में करूंगा/करूंगी। संस्था के ऋण संबंधी नियम मैंने पढ़ और समझ लिए हैं तथा वे मेरे लिए बाध्यकारी होंगे। इसी प्रकार, अनुबंध-पत्र में उल्लिखित शर्तें मुझे मान्य हैं। मुझे ----- हेतु ऋण की आवश्यकता है। मैंने अन्य किसी भी साख संस्था से ऋण नहीं लिया है और न ही मुझ पर किसी साख संस्था का कोई बकाया अथवा ब्याज बाकी है। मेरा वर्तमान कुल मासिक वेतन ₹----- (अक्षरों में -----), संस्था में मेरी कुल जमा ₹----- (अक्षरों में -----), मासिक अंशदान ₹----- (अक्षरों में -----) (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) और संस्था में मेरे ----- अंश हैं। उक्त ऋण का भुगतान होने तक मैं सेवानिवृत्त नहीं हो रहा/रही हूँ और न ही संस्था को छोड़ूंगा/छोड़ूंगी।

ऋण हेतु वांछनीय वित्ताधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जारी वेतन प्रमाण-पत्र संलग्न है। अतः मेरे आवेदन पर विचार कर मुझे उक्त ऋण ₹----- (अक्षरों में -----) स्वीकृत करने का कष्ट करें जिसकी अदायगी ----- किशतों (अधिकतम 12) में करने के लिए मैं स्वीकृति देता/देती हूँ।

पूरा नाम : -----

पदनाम : -----

वर्तमान पता : -----

स्थायी पता : -----

स्थान : ----- मो. सं. : -----

दिनांक : -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

ऋण संबंधी नियम

- आकस्मिक ऋण अधिकतम ₹20,000/- तक दिया जाएगा।
- पूर्व में लिए गए आकस्मिक ऋण की पूर्ण अदायगी के उपरांत ही अगले आकस्मिक ऋण के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- सदस्य एक समय में आकस्मिक एवं सामान्य दोनों तरह के ऋण ले सकता है।
- आकस्मिक ऋण की अदायगी अधिकतम 12 मासिक किश्तों में करनी होगी।
- ऋण प्राप्ति के अगले माह के वेतन से कटौती प्रारंभ की जाएगी।
- ब्याज की गणना दिनों के आधार पर तथा प्राप्त किश्तों के अनुसरण में घटते क्रम में की जाएगी।
- संचालक मंडल ने सदस्यों की सुविधा के लिए आकस्मिक ऋण हेतु किसी जमानतदार की जमानत न लेने का निर्णय लिया है।
- संचालक मंडल द्वारा ऋण संबंधी उपरोक्त नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधन समस्त सदस्यों को मान्य होंगे।
- यदि किसी माह किसी सदस्य के वेतन से ऋण की किश्त की कटौती नहीं होती है और उसके लिए वह सदस्य ही जिम्मेदार है तो ऐसे सदस्य से उक्त माह की देय राशि पर 2 प्रतिशत आर्थिक दंड वसूल करने का अधिकार साख संस्था को होगा।

स्थान : -----

दिनांक : -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

अधिकार-पत्र

मुझे हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित द्वारा दिए गए आकस्मिक ऋण की, निर्धारित किश्तों के अनुसार ----- माह से प्रतिमाह किश्त ₹----- (अक्षरों में -----) + (ब्याज सहित) की मेरे वेतन से किश्त की नियमित कटौती करने का अधिकार मैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी (आहरण एवं वितरण अधिकारी) को दे रहा/रही हूँ। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे ऋण की पूर्ण अदायगी तक मेरे वेतन से की जाने वाली कटौती की राशि को कम करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

स्थान : -----

दिनांक : -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

ऋण प्राप्ति की रसीद

हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित से दिनांक --/--/20-- को आकस्मिक ऋण ₹----- (अक्षरों में -----) नकद/ चेक (संख्या ----- दिनांक -----) द्वारा प्राप्त किए।

स्थान : -----

दिनांक : -----

(ऋण प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर)

उपरोक्तानुसार भुगतान किया गया।

(अध्यक्ष)

(सचिव)

हिंदी विश्वविद्यालय कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित, वर्धा